राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–917/2017

राजेन्द्र सिंह (मृतक) जरिये विधिक वारिसान
1/1 गौरव सिंह (पुत्र) आत्मज स्व. श्री राजेन्द्र सिंह,
1/2 गरिमा पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, बाईस गोदाम, सर्किल, जयपुर।
2. अतिरिक्त, रजिस्ट्रार (मा.सं.वि.), सहकारी समितियां, राजस्थान, बाईस गोदाम, सर्किल जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.08.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. यह अपील राजेन्द्र सिहं द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अपील के लंबित रहने के दौरान मूल अपीलार्थी राजेन्द्र सिहं की मृत्यु हो चुकी है, जिस पर अपीलार्थी के विधिक वारिसान गौरव सिंह (पुत्र) आत्मज स्व. श्री राजेन्द्र सिंह एवं गरिमा पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र सिंह की ओर से पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी के स्थान पर उनके उक्त विधिक वारिसान को अपीलार्थी के रूप में पक्षकार जोड़ा जाता है।
2. अपीलार्थी की ओर से इस अपील में आदेश दिनांक 08.06.2017 (अनुलग्नक–6) को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह माना गया कि पूर्व में स्वीकृत एसीपी प्रत्याहरित करने के क्रम में संवेतन मद में राशि 58962/– रुपये वसूली योग्य है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर बकाया उपार्जित अवकाश के नगदीकरण के मद में 32994/– रुपये वसूली योग्य है। अपीलार्थी को उपरोक्त वसूली योग्य राशि राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को सही रूप से वेतन एवं उपार्जित अवकाश के नगदीकरण का भुगतान किया गया था। अपीलार्थी दिनांक 31.08.2016 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है। सेवानिवृत्ति के पश्चात अपीलार्थी से वसूली के आदेश पारित किये गये हैं, जो उचित नहीं हैं।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह कथन किया है कि अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत किया गया।

राज्यादेश क्रमांक प.4 (11) सह/2015 दिनांक 24.05.2017 के अनुसार अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह को सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति रिक्ति दिनांक 01.04.2015 के विरूद्ध की गई। अपीलार्थी का पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवाये जाने पर यह आक्षेप लगाया गया कि यदि कार्मिक को दिनांक 01.04.2015 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है तो तृतीय एसीपी प्रभावित हो सकती है, समीक्षा करते हुए स्थिति स्पष्ट करें। इसी क्रम में अपीलार्थी के तृतीय एसीपी के प्रकरण की समीक्षा की गई। चूंकि अपीलार्थी को रिक्ति दिनांक 01.04.2015 के विरूद्ध सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत किया गया था, जो कि राज्य सेवा का पद है। नियमानुसार राज्य सेवा के अधिकारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी का लाभ क्रमशः 10, 20, 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय होता है। इन्ही प्रावधानों के तहत अपीलार्थी को पूर्व में 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दी गई तृतीय एसीपी पर पेंशन विभाग द्वारा पेंशन प्रकरण भिजवाये जाने पर आक्षेप लगाया गया, जिसकी जांच हेतु प्रकरण ऑडिट विभाग के पत्रांक फा.115 (आर) सविरा/ऑडिट/निशा दिनांक 08.05.2017 द्वारा तृतीय एसीपी प्रत्याहरित करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी अनुपालना में तृतीय एसीपी प्रत्याहरित की गई थी। संशोधन से पूर्व अपीलार्थी का मूल वेतन 27,350/– रूपये था। अतः उसी के अनुरूप अपीलार्थी को अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति जारी कर अपीलार्थी को तदानुसार भुगतान किया गया था। तृतीय एसीपी के प्रत्याहरण के फलस्वरूप अपीलार्थी का अंतिम मूल वेतन विभाग के आदेश दिनांक 08.05.2017 के द्वारा 25,930/– रूपये निर्धारित किया गया। इस संबंध में अपीलार्थी को सूचित किया गया था, जिसका विवरण पूर्व में दिया जा चुका है। 27 वर्षीय चयनित वेतनमान को प्रत्याहरित करने के फलस्वरूप किये गये वेतन संशोधनों के कारण संवेतन मद में 58,962 /– रूपये एवं अवकाश नकदीकरण मद में 32,944/– रूपये राशि वसूली योग्य है, जिसके संबंध में अपीलार्थी को पत्र दिनांक 08.06.2017 द्वारा अवगत कराया गया एवं इसके उपरांत विभाग के पत्र दिनांक 23.06.2017 द्वारा पुनः स्मरण कराया गया।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि सेवानिवृति के पश्चात अपीलार्थी से वसूली की कार्यवाही की गयी। अपीलार्थी से वसूली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी राजकीय सेवा से दिनांक 31.08.2016 को सेवानिवृत्त हुआ है। वसूली के संबंध में जो अनुलग्नक–6 पारित किया गया है, वह दिनांक 08.06.2017 को पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के 10 माह पश्चात वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई

है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015(1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :–

> (State of Punjab v Rafiq Masih 2015 (1) SCT 195)
> "12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:
> (i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).
> (ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.
> (iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.
> (iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.
> (v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों से वसूली की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।

7. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 08.06.2017 (अनुलग्नक–6) अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी से आदेश दिनांक 08.06.2017 की पालना में कोई वसूली की कार्यवाही नहीं की जाए। यदि पूर्व में अपीलार्थी से इस सम्बन्ध में कोई वसूली की गयी है तो वसुल की गई राशि को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अपीलार्थी को वापस लौटाई जाए।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)